रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 16, 2006/पौष 26, 1927
No. 9] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 16, 2006/PAUSA 26, 1927

भारतीय दन्त परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2006

सं. डी-ई-22-2005 .—दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 20 के साथ पठित धारा 10-क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दन्त परिषद् केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, नए दन्त कालेजों की स्थापना, अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलने और दन्त कालेजों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने से संबंधित विनियमों में संशोधन करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(1) इन विनियमों को भारतीय दन्त परिषद् (नए दन्त कालेजों की स्थापना, दन्त कालेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना और प्रवेश क्षमता बढ़ाना) (संशोधन) विनियम, 2006 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. प्रधान भारतीय दन्त परिषद् विनियम, 2006 के विनियम 4 (2) में, उसमें उल्लिखित 'अनुसूची' को निम्नलिखित 'अनुसूची' से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"अनुसूची

[विनियम 4 (2) देखें]

नया दन्त कालेज खोलने, अध्ययन का उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने तथा मान्यताप्राप्त दन्त कालेजों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति तथा केन्द्रीय सरकार एवं भारतीय दन्त परिषद् द्वारा इस पर कार्रवाई करने के लिए समय-सूची।

क्र. सं.	कार्रवाई का चरण	बी. डी. एस. पाठ्यक्रम के लिए समय-सूची	एम. डी. एस. पाठ्यक्रम के लिए समय-सूची
1	2	3	4
1.	केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदन पत्रों की प्राप्ति।	किसी भी वर्ष 1 अगस्त से 30 सितम्बर तक (दोनों दिवस शामिल)	किसी भी वर्ष 1 मई से 30 जून तक (दोनों दिवस शामिल)
2.	तकनीकी संवीक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदन-पत्र भारतीय दन्त परिषद् को अग्रेषित करना।	31 दिसम्बर तक	31 जुलाई तक
3.	भारतीय दन्त परिषद् द्वारा केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें भेजना	15 जून तक	28 फरवरी तक
4.	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति पत्र जारी करना।	15 जुलाई तक	31 मार्च तक

टिप्पणी :— (1) यदि परिषद् की सिफारिशों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो परिषद् यदि आवश्यक हो, निरीक्षण करने के पश्चात् ऐसा स्पष्टीकरण तुरन्त भेजेगी।

(2) आवेदन पत्रों के किसी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में केन्द्रीय सरकार उक्त समय-सूची में, लिखित कारण बताते हुए, संशोधन कर सकती है।''

एस. एस. अरोड़ा, प्रभारी सचिव

[विज्ञापन III/IV/98/2005/असा.]

पाद टिप्पणी :— प्रधान विनियम, नामतः भारतीय दन्त परिषद (नए दन्त कालेज खोलना, अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करना और दन्त कालेजों में प्रवेश बढ़ाना) विनियम, 2006, भारत के राजपत्र असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में 12 जनवरी, 2006 को प्रकाशित।

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2006

No. DE-22-2005.—In exercise of the powers conferred by Section 10A read with Section 20 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Dental Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Regulations relating to establishment of new dental colleges, opening of new or higher course of study or training and increase of admission capacity in dental colleges, namely:—

1. **Short title and commencement:—**

   (1) These regulations may be called the Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (Amendment) Regulations, 2006.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **In regulation 4(2) of the principal DCI regulations 2006, the 'Schedule' mentioned therein, shall be substituted with the following 'Schedule' :—**

"SCHEDULE

[*See* Regulation 4(2)]

Schedule for receipt of Applications for Establishment of New Dental Colleges, Opening of Higher Course of Study & Increase of admission capacity in the recognised Dental Colleges and processing of the applications by the Central Government and the Dental Council of India.

Sl. No.	Stage of Processing	Time Schedule for BDS	Time Schedule for MDS
1	2	3	4
1.	Receipt of applications by the Central Govt.	From 1st August to 30th September (Both days inclusive) of any year	From 1st May to 30th June (Both days inclusive) of any year
2.	Forwarding of applications by the Central Government to the Dental Council of India for technical scrutiny.	Upto 31st December	Upto 31st July
3.	Recommendation of DCI to the Central Government	Upto 15th June	Upto 28th February
4.	Issue of Letter of Permission by Central Government	Upto 15th July	Upto 31st March

Note :— (1) If any clarification is sought by the Central Government on the recommendation of the Council, the same will be furnished by the Council forthwith, if necessary, after Conducting inspection.

(2) The time-schedule indicated above may be modified by the Central Government, for reason to be recorded in writing, in respect of any class or category of applications."

S. S. ARORA, Secy. I/c.

[ADVT. III/IV/98/2005/Exty.]

Foot note :- The Principal regulations, namely, the Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 12th January 2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.